



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2925/2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.टी. पाण्डेय

विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रत्नेश मणि त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 76

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची दोहराई गई।
2. यह मामला माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के दिनांक 08.07.2026 के आदेश के माध्यम से इस न्यायपीठ को सौंपा गया है।
3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.टी. पाण्डेय, प्रथम सूचनाकर्ता/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश मणि त्रिपाठी, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री अजय सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
4. राज्य का दिनांक 23.05.2026 का अनुपालन शपथपत्र अभिलेख पर है। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 का दिनांक 21.07.2026 का प्रति-शपथपत्र भी अभिलेख पर है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया है कि विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के प्रति-शपथपत्र के प्रति कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का उनका प्रस्ताव नहीं है। वह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। अतः न्यायालय मामले की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ता है।
6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के अंतर्गत वर्तमान पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी-किशोर एक्स द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा मुकदमा अपराध संख्या 294/2025, अन्तर्गत धारा 281, 105 बी.एन.एस. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 199(क), थाना पनियरा, जनपद महाराजगंज में किशोर न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश, महाराजगंज द्वारा आपराधिक अपील संख्या 15, 2026 (किशोर एक्स बनाम राज्य) में पारित दिनांक 19.03.2026 के आदेश तथा प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, महाराजगंज द्वारा विविध वाद संख्या 345, 2025 (राज्य बनाम किशोर एक्स) में पारित दिनांक 13.02.2026 के आदेश को अपास्त किया जाए तथा वर्तमान पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान पुनरीक्षणवादी को उपर्युक्त वाद में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
7. इस वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 को विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा वाहन के अज्ञात चालक के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि दिनांक 17.07.2025 को उसकी सास जोखनी अपनी दुकान से घर जा रही थी और जैसे ही वह गुब्बू के घर पहुँची, सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसे लगभग 08:30 बजे गंभीर चोटें आईं, किंतु तत्पश्चात् वाहन का स्वामी भाग गया। उसे चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।
8. श्रीमती जोखनी मृतका हैं, जिन्हें शव-परीक्षण के दौरान पाँच चोटें लगी हुई पाई गई, जो निम्नलिखित हैं:

"i) माथे के मध्य भाग पर 3 सेमी x 2 सेमी x हड्डी तक गहरा विदीर्ण घाव।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ii) सिर के ऊपरी भाग पर 2.5 सेमी x 1 सेमी x हड्डी तक गहरा विदीर्ण घाव, काटने पर उसके नीचे तथा मस्तिष्क एवं झिल्ली के ऊपर रक्तसावी सूजन उपस्थित थी।

iii) बाएँ पैर पर 1 सेमी लंबा टांके लगा हुआ घाव, जिसमें एक टांका लगा हुआ था, खोलने पर घाव हड्डी तक गहरा था।

iv) बाएँ पैर पर 4 सेमी लंबा टांके लगा हुआ घाव, जिसमें दो टांके लगे हुए थे, खोलने पर अंतर्निहित दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थीं।

v) दाएँ पैर पर 8 सेमी लंबा टांके लगा हुआ घाव, जिसमें पाँच टांके लगे हुए थे, खोलने पर घाव हड्डी तक गहरा था तथा अंतर्निहित टिबिया हड्डी टूटी हुई थी।"

मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा होना है।

9. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया है कि वर्तमान वाद में पुनरीक्षणवादी को झूठा फंसाया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुनरीक्षणवादी का नाम नहीं है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाहन को चलाने वाले के रूप में पुनरीक्षणवादी की पहचान कथित घटना के अगले दिन विवेचना के दौरान उजागर हुई, जिसमें वाहन संख्या की भी पहचान की गई। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। यह प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड, महाराजगंज द्वारा पारित दिनांक 17.01.2026 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को किशोर घोषित किया गया था और घटना के समय उसकी आयु लगभग 15 वर्ष, 6 माह और 16 दिन घोषित की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए कार्यवाही भी प्रारंभ की है, जो निस्तारण के लिए लंबित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि शपथपत्र के पैरा 13 में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षणवादी का कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आपराधिक इतिहास नहीं है। पुनरीक्षणवादी दिनांक 14.11.2025 से जेल/पर्यवेक्षण गृह में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है।

10. इसके विपरीत, राज्य तथा प्रथम सूचनाकर्ता/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ताओं ने पुनरीक्षण में जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु जैसा कि तर्क प्रस्तुत किया गया है, उसके तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं कर सके। तथापि, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में पुनरीक्षणवादी के पिता तथा वाहन के स्वामी अशोक कुमार ने पूछताछ के दौरान यह बताया है कि उन्होंने अपने पुत्र को किसी कार्य के लिए भेजा था और इस प्रकार उनका बयान यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने पुत्र को उक्त वाहन से भेजा था और इसलिए उन्हें भी इस मामले में उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणवादी एक किशोर है। मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान घटना के संबंध में विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष एक दावा याचिका दाखिल की गई है, जो लंबित है।

12. वर्तमान पुनरीक्षण **स्वीकार** किया जाता है। किशोर न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश, महाराजगंज द्वारा पारित दिनांक 19.03.2026 का आदेश तथा उपर्युक्त मामलों में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, महाराजगंज द्वारा पारित दिनांक 13.02.2026 का आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है। पुनरीक्षणवादी का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. पुनरीक्षणवादी (**किशोर एक्स**) को उसके प्राकृतिक संरक्षक/पिता अशोक के माध्यम से, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) कि प्राकृतिक संरक्षक/पिता इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किशोर को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और आगे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।

(ii) कि संरक्षक/पिता इस आशय का एक और वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि किशोर का विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा और उसे अपनी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और केवल मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) पुनरीक्षणवादी तथा उसके पिता अभिरक्षा से रिहा किए जाने के पश्चात् अगले माह के प्रथम सोमवार से प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को जिला परीवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट करेंगे और यदि किसी कैलेंडर माह में प्रथम सोमवार को अवकाश पड़ता है, तो उसके अगले कार्य दिवस को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) जिला परीवीक्षा अधिकारी पुनरीक्षणवादी की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी आवधिक आधार पर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

6 अगस्त, 2026

एम. आरिफ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”